प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 21 मार्च, 2018**

विषय:- मै0 बछरावां राईस इण्ड ज, ग्राम-दुर्गनटोला, बछरावां, रायबरेली को उ0प्र0 खाद्य संस्करण उद्योग नीति-2012 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु स्वीकृत अनुदान की चतुर्थ किस्त रू0-176522.00 (रूपया एक लाख छिहत्तर हजार पॉ च सौ बाईस मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0उ0नि0-2633/14/चतुर्थ किश्त/2017-18, दिनांक-28.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/997/58-2-2013-10/12टी0सी0-1, दिनांक- 06.12.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक: 21.01.2014 द्वारा **मै0 बछरावां राईस इण्ड ज, ग्राम-दुर्गनटोला, बछरावां, रायबरेली** को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु बैंक् द्वारा प्राप्त किये गये वास्तविक ब्याज के सापेक्ष नीति में प्राविधानित 07 प्रतिशत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या-21/2017/289/58-2-2017-300(14)/2016, दिनांक-15/05/2017 द्वारा रू0-84.60 लाख, शासनादेश संख्या-27/2017/776/58-2-2017-300(7)/2017, दिनांक-28/08/2017 द्वारा रू0-118.45 लाख तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-34/2017/1198/58-2-2017-300(15)/2017, दिनांक-16.11.2017 द्वारा रू0-224.07 लाख एवं संख्या-03/2018/228/58-2-2018-10/2012, दिनांक-06.02.2018 द्वारा रू0-1500.00 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार **मै0 बछरावां राईस इण्ड ज, ग्राम-दुर्गनटोला, बछरावां, रायबरेली** द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में ब्याज के रूप में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि का 7 प्रतिशत की दर से अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आकलित अनुमन्य ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति धनराशि **रू0-176522.00 (रूपया एक लाख छिहत्तर हजार पॉ च सौ बाईस मात्र)** को चतुर्थ किस्त के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012- में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं अनुबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-65/58-2-2013-10/2012, दिनांक-21.01.2013 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाया।

(3) अनुदान हेतु स्वीकृत चतुर्थ किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in